मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 30 अगस्त, 1995 (भाद्र 8, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामकिशोर शुक्ल, सदस्य, शहडोल जिले के ब्यौहारी स्थित बस स्टेंड को वर्तमान स्थान से स्थानान्तरित किये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, इटारसी स्थित आयुध निर्माणी संस्थान में विस्फोट से अनेक लोगों की मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री झल्लूलाल तेकाम, सदस्य, मंडला जिले के -

(क) ग्राम दानी-टोला के पास पुलियों का निर्माण कराये जाने;
(ख) ग्राम देई के पास पुलिया का निर्माण कराये जाने;
(ग) ग्राम बसनिया, भपसा एवं नेवसा में बिजली लगाये जाने;
(घ) ग्राम बर्रई में छात्रावास भवन का निर्माण कराये जाने; एवं
(ड.) ग्राम मेढा में उच्चतर माध्यमिक शाला खोले जाने;

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम रतनपुरा में अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने;
(ख) ग्राम बीसनपुरा में शासकीय ट्यूबवेल खनन कराये जाने;
(ग) अजनार माइनर में झाल एवं सफाई कराये जाने;
(घ) ग्राम बरौआ में शासकीय ट्यूबवेल खनन कराये जाने;
(ड.) ग्राम नरोल में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने;
(च) ग्राम परैछा में शासकीय ट्यूबवेल खनन कराये जाने;
(छ) ग्राम देवरा में शासकीय ट्यूबवेल खनन कराये जाने;
(ज) ग्राम दबरा में शासकीय ट्यूबवेल खनन कराये जाने; एवं
(झ) ग्राम सौंसरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(3) डॉ. सियाराम साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले के -

(क) ग्राम गंडई में कृषि उपज मंडी खोले जाने; एवं
(ख) ग्राम वीरेन्द्र नगर से पैलपार तक सड़क निर्माण कराये जाने ,

(4) महंत स्वामी उमेश मुनि, सदस्य, खंडवा जिले के बुरहानपुर नगर स्थित गांधी चौक के दुकानदारों को स्थायी पट्टा दिलाये जाने ;

(5) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले के ग्राम झिंगौदर के पास अमरन नदी पर बांध बनाये जाने ; तथा

(6) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम भगवंतपुर में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

4. वर्ष 1995-96 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1995-96 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 1 घन्टा

(2) श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 21 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा

(3) श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 22 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश में नकली खाद व बीज मिलने एवं समय पर खाद व बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, नेमीचन्द जैन, गिरिराज मण्डलोई, राम विचार नेताम, बच्चन नायक, गोविन्द प्रसाद मिश्र, रघुनंदन शर्मा, जालम सिंह पटेल तथा श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

शीला बत्रा
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 29 अगस्त, 1995